

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

C.No. 04/2007 अनाम/हरकार

14/1/15

पत्रावली पेश की जायत तार एसो.
किशनगढ़
सम्मान
रक्षा नं. F.O. सा.
के समक्ष दि. 24/1/2015 को पेश हुई

22/1/15

पत्रावली पेश की जायत तार एसो.
किशनगढ़
सम्मान
रक्षा नं. F.O. सा.
के समक्ष दि. 29/1/2015 को पेश हुई

29/1/15

पत्रावली पेश की जायत तार एसो.
किशनगढ़
सम्मान
रक्षा नं. F.O. सा.
के समक्ष दि. 12/2/2015 को पेश हुई

12/2/15

दिनांक 12/2/15 को एग्रीकल्चरल किशनगढ़
द्वारा Helgobd को
पत्रावली पेश की जायत तार एसो.
किशनगढ़
सम्मान
रक्षा नं. F.O. सा.
के समक्ष दि. 12/2/15 को पेश हुई

C.No. 04/2007 अनाम न अनाम बनाम हरकार

24/2/2015

पत्रावली पेश की जायत तार एसो.
किशनगढ़
सम्मान
रक्षा नं. F.O. सा.
के समक्ष दि. 24/2/2015 को पेश हुई

उपरलपट अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

अवलोकन किया गया। प्र० पत्र दिनांक 26/11/2007
को प्र० दिनांक की वकालत आख्यातपुत्र
किया जाता है तथा प्र० का नाम तर्क सिद्ध
मजबूत पुनर्वाक्य वाक्य प्र० पत्र दिनांक 26/11/2007
में जारी नोटिस पर तामिल तुमिदा की रिपोर्ट
अनुपुत्र संगीत 10/ गिरधारी का मी पाल लेता
अभिर किया गया है। अतः नामांकित संगीत का
नाम भी तर्क किया जाता है।

इसप्रकार प्र० पत्र दिनांक 29/12/2008 का लक्षित
है जिसे खाना नम्बर 1163 का कानून विलयन
वाक्य अ मिवेस नियम गण्य है। कलशावा द्वारा
31.88 राज. वा. अर्थ. के तहत प्रेम दिया गया है।
तथा दिनांक 12/02/2009 व संशोधित 13/01/2007
30/10/2007 में वासुदेव खाना नम्बर 1163 का
कानून विलयन वाक्य का अनुतोष प्रामाण्य
नहीं किया गया है। अतः नामांकित प्र० अनुतोष
किया जाना संभव नहीं है।

परीक्षा सत्रवार द्वारा इसप्रकार दिनांक 26/11/2009
को प्रेम प्र० पत्र का अन्तिम वाक्य रिपोर्ट के
अनुपुत्र वाक्य वासुदेव 55/1987 अन्तर्गत द्वारा
31.88 राज. वा. अर्थ. में पारित अन्तिम दिनांक
दिनांक 23/1/2009 व 12/02/2009 व संशोधित
दिनांक 30/10/2007 का शपथ रिपोर्ट में अमल
दस्तावेज हो चुका है, क्योंकि मूल वाक्य पारित दिनांक व
अन्तिम का वाक्य रिपोर्ट के अमल दस्तावेज हो चुका है।
अतः अन्तिम इसप्रकार को विचारार्थी रखने का कोई
कारणिक औचित्य नहीं है अतः इसप्रकार की कार्यवाही शीघ्र
रूप पर पूर्ण हो चुकी है, इसप्रकार की कार्यवाही समाप्त
किया जाता है। इसप्रकार के मूल अनुतोष नमदय के करण

उपर्युक्त अधिकारी
दिनांक 11/12/2009